सत्र विचारण संख्या– 956/2023

(मोतीपुर थाना कांड संख्या–40/2015, धारा–304बी, 201/34 भा0द0वि0 से व्युत्पन्न)

1. रविन्द्र सहनी पिता सिकिन्दर सहनी
निवासी ग्राम–अंजनाकोट फुलार, थाना–मोतीपुर, जिला–मुजफ्फरपुर.....आवेदक

बनाम्

बिहार सरकार.....विपक्षी

अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक– श्री मुकेश कुमार सिंह
अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता –श्री सुनिल राय

आदेश

02.02.2024 प्रस्तुत मामले के काराधीन अभियुक्त रविन्द्र सहनी की ओर से दिनांक 01.02.2024 को दाखिल जमानत आवेदन जिसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजक को दी गयी, जिसे प्रचालित किया गया। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 16.09.2023 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

सूचिका फुलमति देवी के द्वारा लिखित आवेदन में संक्षेप में उनका कहना है कि मैं अपनी लड़की रेणु देवी की शादी रविन्द्र सहनी के साथ 2012 में की थी। उसके बाद से मेरी लड़की के ससुराल वालों द्वारा हमेशा गाली–गलौज किया जाता था। मेरी लड़की मुझे बताई कि बच्चा नहीं होने के कारण बराबर ससुराल के लोग एवं ससुराल के अगल–बगल के लोग प्रताड़ित करते थे। दिनांक 01.03.15 को धर्मेन्द्र सहनी, रविन्द्र सहनी, विनोद सहनी, सुरेन्द्र सहनी, सिकिन्द्र सहनी, जलीया देवी, किशोर सहनी, जलसीया देवी, नवल सहनी, कृष्णा देवी, शिव वलिया देवी, सुरू सहनी छठिया देवी, रिना देवी, जोगी सहनी, सभी लोग मिलकर दहेज के लिए जान से मारकर जमीन में हला दिया है। कल दिनांक 03.03.2015 को रात्री के 10 बजे उसी गांव के किसी व्यक्ति द्वारा सूचना मुझे दिया गया कि आपकी लड़की को जान से मार दिया है जिसे घर के बगल में सरेह में कही हला दिया है। मेरी लड़की से बराबर मोटरसाईकिल एवं सोना का चेन दहेज में मांग किया जाता था। इस पर मेरी लड़की द्वारा कई बार हमसे उपरोक्त समान की मांग किया गया। मैं अपने लड़की के ससुराल वाले को दोनों समान नहीं दिये जिसके कारण मेरी लड़की को जान से मार दिये हैं। जबकि शादी में अपनी क्षमता के अनुसार वर्तन, कपड़ा, साईकिल, नगद 150 लाख रूपया उपहार स्वरूप दिया था। दिनांक 04.03.15 को थाना आकर यह लिखित आवेदन दे रही हूँ।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इस जमानत आवेदन को संचालित करते हुए यह कहा है कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, इसने कोई अपराध नहीं किया है। ग्रामीण राजनीतिक एवं पूर्व दुश्मनी के कारण उक्त वाद में फंसा दिया है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न ही अन्तर्गत न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर एवं न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया है। आवेदक अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सूचक ने ग्रामीणों के उकसाने एवं गलतफहमी के कारण बिना जांच किये हुए आवेदक को उक्त झुठे मुकदमा में फंसाया है। सूचक अपना गवाही न्यायालय में दिया एवं तथा कथित घटना का समर्थन नहीं किया है एवं दो गवाहों ने

भी न्यायालय में आकर गवाही के दरम्यान यह बयान दिया है कि घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आवेदक घटना के समय तिनसुकिया(असम) में रहकर मजदूरी करता था। आवेदक दिनांक 16.09.2023 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक/अभियुक्त जमानतदार देने को तैयार है, भागने की कोई संभावना नहीं है। इन आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने का अनुरोध किया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने इस जमानत आवेदन का विरोध करते हुए इसे खारिज करने की मांग की है।

उभय पक्ष को सुना एवं वाद अभिलेख का अवलोकन किया। इस कांड की प्राथमिकी धारा–304बी, 201/34 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत दर्ज की गयी है आवेदक/अभियुक्त सहित कुल चौदह अभियुक्तों के विरूद्ध दर्ज की गयी है। इन पर यह आरोप है कि इन्होने घटना तिथि को सूचिका की पुत्री रेणु देवी की दहेज के लिए हत्या कर दिये और साक्ष्य छुपाने के लिए उसके शव को भी गायब कर दिये। आवेदक सूचिका के पति हैं। कांड दैनिकी कंडिका–3 में सूचिका ने अपने पुनः बयान में प्राथमिकी में वर्णित घटना का समर्थन किया है। कंडिका–4 में साक्षी इन्द्रजीत सहनी ने भी अपने बयान में प्राथमिकी में वर्णित घटना एवं सूचिका के बयान का समर्थन किया है। इनके अलावा कंडिका–10, 11, 119 एवं 120 में साक्षियों ने अपने बयानो में आवेदक सहित अन्य अभियुक्तों द्वारा रेणु देवी को प्रताड़ित किये जाने की बात का समर्थन किया है। अनुसंधानकर्ता ने घटना को सही पाते हुए आवेदक सहित कुल छः अभियुक्तों के विरूद्ध धारा–304बी, 364, 201/34 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत आरोप–पत्र समर्पित किया है। इस वाद में विचारण के दौरान अब तक कुल 15 साक्षियों में से केवल 3 साक्षियों की ही गवाही हुई है और सूचिका के पति सहित अभी अन्य अपरीक्षित साक्षियों की गवाही होनी है।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों पर विचार करने के उपरांत तथा मामले के गंभीरता को देखते हुए इस अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः इनका यह जमानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम
मुजफ्फरपुर

मेमो नं0.....दिनांक.....
आदेश की प्रति निम्न न्यायालय के अभिलेख के साथ न्यायालय.....मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ भेजा जाता है।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम
मुजफ्फरपुर